गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना

पृष्ठभूमि :–

राज्य की पंजीकृत गौशालाओं में गौवंश के सहउत्पाद गोबर का उपयोग ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोत के रूप में कर के गौशालाओं के आय के स्त्रोंत को बढ़ावा देने तथा बायों गैस उत्पादन कर विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से स्वयं के स्वामित्व की 25 बीघा या अधिक भूमि पर संचालित गौशालाओं में से चयनित 25 गौशालाओं में 100 घन मीटर या अधिक क्षमता के बायो गैस प्लांट लगाये जाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा (67) वित्तीय वर्ष 2018–19 की गयी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए गोपालन विभाग द्वारा प्रति गौशाला लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 40.00 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा।

योजना का उद्देश्य :–

1. स्वयं के स्वामित्व की 25 बीघा या अधिक भूमि पर संचालित पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाऊस में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण।
2. गौवंश के सहउत्पाद गोबर का उपयोग ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोत के रूप में करना।
3. बायों गैस उत्पादन कर ऊर्जा व विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाना।
4. गौशालाओं के लिए स्थायी आय के स्त्रोंत को बढ़ावा देना।
5. गौशालाओं में स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण करना।
6. नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के असहाय/निराश्रित गौवंश तथा वध से बचाये गौवंश को आश्रय प्रदान करना।
7. गौवंश से उर्त्सजित मीथेन गैस उर्त्सजन को कम करते हुऐ पर्यावरण संरक्षण के द्वारा राज्य के कार्बन रेटिंग को कम करना।
8. बायोगैस प्लाट से निर्मित खाद को सममिश्रित कर प्रोम (Prom) के रूप में कृषकों को जैविक कृषि के लिए उपलब्ध करवाना।
9. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना

योजना की अवधि :– 2018–19 (एक वर्ष),

योजना की अवधि राज्य स्तरीय अधिभार उपयोग सलाहकार समिति की अनुशंषा पर आगामी वर्षों तक बढ़ायी जा सकेगी।

<u>प्रावधित राशि</u> :– राशि रू. 10.00 करोड

उक्त राशि का व्यय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा (67) वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत निदेशालय गोपालन को देय राशि में से किया जाना है।

<u>योजना का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण</u> :– गोपालन विभाग।

<u>योजना का क्रियान्वयन</u> :– 01 अप्रेल, 2018 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की जायेगी।

<u>योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी</u> :– गौशालाओं में बायोगैस प्लांट संरचना का निर्माण निदेशालय गोपालन द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित करवाया जायेगा। कार्यकारी संस्था/एजेंसी का चुनाव expression of interest से बायोगैस प्लांट की क्षमता, आकार – प्रकार के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु निदेशालय गोपालन द्वारा शर्तो व प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा।

<u>योजना से लाभ</u> :–

1. राज्य की स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर संचालित पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण।
2. ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोत के उपयोग को बढावा देना।
3. बायों गैस से सी.एन.जी. का उत्पादन कर ऊर्जा व विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाना।
4. गौशालाओं के लिए स्थायी आय के स्त्रोंत को बढ़ावा देना।
5. गौशालाओं में स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण करना
6. शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
7. नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के असहाय/निराश्रित गौवंश तथा वध से बचाये गौवंश को आश्रय प्रदान करना।
8. राज्य के पर्यावरण में मीथेन गैस उर्त्सजन को कम करते हुऐ कार्बन रेटिंग को कम करना।
9. बायोगैस प्लाट से निर्मित स्लरी खाद को सममिश्रित कर प्रोम (Prom) के रूप में राज्य के कृषकों को उपलब्ध करवाते हुये जैविक कृषि को बढावा देना।

पात्रता की शर्ते :–

1. जिन गौशालाओं के पास स्वयं के स्वामित्व की 25 बीघा अथवा इससे अधिक भूमि की उपलब्धता हो।
2. गौशालाओं में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु कम से कम 1000 गौवंश का संधारण किया जाना आवश्यक है अथवा गौशाला आवश्यकतानुसार गोबर व पानी उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार रहेगी।
3. जिनके विरूद्ध कोई वित्तिय अनियमितता/गबन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।
4. ऊर्जा व विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी होने हेतु जो गौशालाएं स्वयं के संसाधन विकसित करने हेतु उत्सुक हो।
5. अपना कम्प्यूटर एवं online सूचना आदान प्रदान हेतु एक माह में व्यवस्था करने को जो गौशाला/कांजी हाऊस तैयार हो।

योजना की शर्ते :–

1. गोपालन विभाग द्वारा गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना के अन्तर्गत राज्य की 25 या 25 बीघा से अधिक स्वयं के स्वामित्व की भूमि वाली गौशालाओं को 100 घन मीटर एवं इससे अधिक क्षमता वाले बायोगैस प्लांट की आधारभूत संरचना आदि के निर्माण एवं संचालन हेतु सहायता दी जायेगी।
2. गोपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में बायोगैस प्लांट की स्थापना हेतु कुल लागत का 50% या अधिकतम 40.00 लाख तक की अनुदान राशि दी जायेगी तथा 50% राशि लाभार्थी गौशाला संस्था द्वारा स्वयं को वहन करनी होगी।
3. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
4. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नवीन निर्माण कार्य हेतु ही स्वीकृत की जायेगी।
5. निदेशालय गोपालन द्वारा चयनित कार्यकारी संस्था/एजेंसी का समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) गौशाला प्रबंधन के साथ निष्पादित किया जायेगा।
6. कार्यकारी संस्था/एजेंसी/गौशाला को शपथ–पत्र राज्य सरकार के पक्ष में देना होगा, कि प्लांट के निर्माण के पश्चात् आगामी कम से कम 5 वर्ष तक प्लांट को निरन्तर संचालित करना होगा।
7. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गौशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

निर्माण कार्य :–

1. इच्छुक गौशाला को अपना प्रस्ताव जिला स्तरीय गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला गोपालन समिति उक्त प्रस्तावों पर व्यवहारिकता एवं उपयोगिता पर विचार कर अनुमोदन पश्चात् निदेशालय गोपालन को अग्रेषित करेगी।
2. निदेशालय गोपालन जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की सक्षम स्तर पर जांच कर शासन की अनुमति से निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करेगा।
3. निदेशालय गोपालन द्वारा expression of interest के आधार पर अनुमोदित एक या एक से अधिक कार्यकारी संस्थाओं/एजेंसियों मे से किसी एक संस्था/एजेंसी के माध्यम से गौशाला द्वारा बायोगैस प्लांट की स्थापना का तकनीकी कार्य निष्पादित करवाया जायेगा।
4. लाभार्थी गौशाला द्वारा कार्य का प्रस्ताव तथा तकमीना सक्षम स्तर पर तैयार कराकर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला गोपालन समिति के समक्ष निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित निम्न जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा :–

जिला कलक्टर	: अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	: सदस्य
कोषाधिकारी	: सदस्य
जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	: सदस्य सचिव
जिला उप निदेशक, कृषि	: सदस्य

सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/एजेन्सी एवं गौशाला का प्रतिनिधि इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेगा।

स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया :–

1. गौशाला द्वारा वांछित निर्माण कार्यो की समग्र योजना तैयार कर जिला गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
2. निदेशालय गोपालन द्वारा expression of interest से अनुमोदित एक या एक से अधिक कार्यकारी संस्थाओं/एजेंसियों मे से किसी एक संस्था/एजेंसी के माध्यम से गौशाला द्वारा बायोगैस प्लांट की स्थापना का तकनीकी कार्य निष्पादित करवाया अनिवार्य होगा।
3. जिला गोपालन समिति प्रस्तावों की उपयोगिता व व्यवहारिकता की आवश्यक जांच कर अनुमोदन पश्चात् अपनी अभिशंषा के साथ निदेशालय गोपालन को प्रेषित करेगी।

4. जिला स्तरीय गोपालन समिति से प्राप्त प्रस्तावों को निदेशालय गोपालन द्वारा प्रशासनिक स्तर से अनुमोदन पश्चात् प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. बायोगैस संयत्र के तकनीकी निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम रू. 40.00 लाख अनुदान के रूप में दो किश्तों में दिया जायेगा।
6. प्रथम किश्त का भुगतान 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा द्वितीय किश्त का भुगतान पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् किया जायेगा।
7. गौशाला द्वारा निर्माण कार्य में कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि व्यय कर प्रमाणन/मुल्यांकन जिला गोपालन समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. निदेशालय गोपालन द्वारा लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 40.00 लाख का अनुदान लाभार्थी गौशाला को देय होगा। यदि लाभार्थी गौशाला द्वारा निदेशालय गोपालन से अनुमोदित कार्यकारी संस्था/एजेंसी के माध्यम से तकनीकी निर्माण कार्य सम्पादित करवाया जाता है और लाभार्थी गौशाला द्वारा संबंधित कार्यकारी संस्था/एजेंसी के पक्ष में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अनुदान राशि का भुगतान करने का निवेदन किया जाता है तो निदेशालय गोपालन द्वारा सीधे ही कार्यकारी संस्था/एजेंसी को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 40.00 लाख का अनुदान का भुगतान किया जा सकेगा।
9. संबंधित कार्यकारी संस्था/एजेंसी द्वारा बायोगैस संयत्र की स्थापना हेतु दानदाताओं/निवेशकों/भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान/सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।
10. इस योजना के साथ गौशालाएं अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष आदि का लाभ भी ले सकेगी।
11. सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/एजेंसी/गौशाला द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं राशि के नियमानुसार उचित उपयोग का दायित्व होगा।

<u>योजना का पर्यवेक्षण :–</u>

1. निदेशालय गोपालन द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के द्वारा समय – समय पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर पर्यवेक्षण किया जावेगा। निरीक्षण पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक गोपालन को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. जिला स्तरीय गोपालन समिति तथा निदेशालय गोपालन द्वारा नामित लेखा परीक्षण दल या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत राजकीय संस्थान, लेखा एवं वित्तीय अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण एवं ऑडिट कर सकेगी।

क्रियान्वयन एजेंसी के कार्य एवं भूमिका :–

1. राज्य स्तर पर बजट नियंत्रण गोपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. लाभार्थी गौशाला द्वारा योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि का पृथक से लेखा अभिलेख संधारित किया जायेगा।

सम्पतियों का ब्यौरा :–

1. योजना से सृजित सम्पतियों का इन्द्राज हेतु सम्पति रजिस्टर संबंधित गौशाला में संधारित किया जायेगा, जिसमें निर्माण वर्ष, लागत, निर्माण का विवरण, पूर्णता की तिथि, राजकीय स्वीकृत राशि, व्यय राशि आदि का विवरण होगा।
2. एक रजिस्टर निदेशालय गोपालन द्वारा भी संधारित किया जायेगा, जिसमें राज्य की समस्त गौशालाओं में सृजित सम्पतियों/निर्माण कार्यो का ब्यौरा अंकित होगा।

अंकेक्षण :–

1. योजना के अंतर्गत व्यय राशि एवं लेखा अभिलेखों का अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। निदेशालय गोपालन के वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा भी लेखों की जांच की जायेगी। अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति जिला कलेक्टर, निदेशालय गोपालन तथा राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

पूर्णता प्रमाण पत्र :–

1. कार्य समाप्ति पर स्वीकृत एवं व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी एक प्रति गोपालन निदेशालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी।